


15/04/21

पार्थी मय वकील उपस्थित। सुना गया।  
पार्थी द्वारा मूल दावा विडो कर लिया  
है। इसलिए प्रा.पत्र सारहीन होने के  
कारण खारिज किया जाता है। पूर्व में  
जारी T. I. खारिज की जाती है।  
पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

  
उप खण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (नरतपुर)